

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934
DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 78
[N.C.T.D. No. 78

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2012

सं. एफ. 1/49/2006/गु.चु.नि./811.—इस निदेशालय की अधिसूचना सं. एफ. 1(29)/98/नि.गु.चु. दिनांक 8 अक्टूबर, 1999 के तारतम्य तथा आंशिक संशोधन अधिसूचना संख्या एफ. 1(29)/98/गु.चु.नि./883 दिनांक 8 मई, 2002 व संख्या एफ. 1(62)/गु.चु.नि./2008/(ii) 1695 दिनांक 28-07-2006 के अतिक्रमण में, मैं, एस.एस. सिद्ध, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, 1974 की नियमावली, 14 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय गुरु सिंह सभा (रजि.), मुख्यालय आई-2, जंगपुरा-बी, नई दिल्ली-110014, मान्यताप्राप्त धार्मिक दल को आरक्षित चुनाव चिन्ह 'किताब' आवंटित करता हूँ, जिसका प्रयोग उस दल द्वारा नामांकित उम्मीदवारों द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के चुनावों में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा, जैसे:—

- इस आशय की घोषणा उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में कर दी हो;
 - इस आशय का नोटिस, उम्मीदवारी नामांकन करने की अंतिम तिथि अपराह्न 3.00 बजे से पहले, वार्ड के निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में दिया जा चुका हो; और
 - उक्त नोटिस पर दल के प्रधान/सचिव अथवा अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तथा प्रधान/सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारी को दल द्वारा ऐसा नोटिस भेजने के लिए अधिकृत किया गया हो तथा संबंधित प्रधान/सचिव या अन्य पदाधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर नमूना संबंधित वार्ड के निर्वाचन अधिकारी और निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, दिल्ली को अग्रिम रूप से प्रेषित किये गए हों;
 - धार्मिक दल द्वारा कम से कम 5 अलग-अलग वाडों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों के अग्रिम आम चुनाव लड़े जाने चाहिएं;
 - धार्मिक दल अपने पदाधिकारियों का विवरण हर साल जनवरी महीने में तथा समिति के चुनाव होने के एक महीने के भीतर निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव को सूचित किया जाएगा;
 - धार्मिक दल के उम्मीदवारों को अपने पक्ष में अगले आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों के कम से कम छह प्रतिशत मत प्राप्त करने होंगे।
- (2) उपरोक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—
- सूची बी-अनारक्षित चुनाव चिन्हों में, अंक व अक्षर '9-किताब' का लोप किया जाएगा।
 - सूची ए-आरक्षित चुनाव चिन्ह के अन्तर्गत अन्त में 'किताब' जोड़ा जाएगा।

**DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTION
NOTIFICATION**

Delhi, the 29th June, 2012

No. F. 1/49/2006/DGE/811.— In continuation to this Directorate Notification No. F.1(29)/98-DGE Dated 8th October, 1999 and in partial modification of Notification F.1(29)/98/DGE/883, Dated 8th May, 2002, and F.1/62/DGE/2008(ii)1695 Dated 28.07.2010 I, S.S. Sidhu, Director, Gurdwara Elections, Govt. of N.C.T. of Delhi, Delhi in exercise of the power conferred on me by rule 14 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Elections of Members) Rule 1974, hereby specify 'BOOK symbol' as reserved symbol and that choice of this symbol to be made by the candidates sponsored by the **Kendriya Sri Guru Singh Sabha (Regd.)**, H.O. I - 2, Jangpura - B, New Delhi - 110014, a recognized religious party, for the election of members to DSGMC is subject to the following restrictions namely:-

- (i) The candidate has made declaration to that effect in his nomination paper,
- (ii) A notice in writing to that effect has, not later than 3:00 PM on the last day of nomination of candidature, been delivered to the Returning Officer of that ward; and
- (iii) The said notice is signed by the President/Secretary or any other Office-bearer of that party and the President/Secretary or any other Office-bearer is authorized by the party, send such notice and the name and specimen signature of the President/Secretary or any other Office-bearer, are communicated in advance to the Returning Officer of the Ward and to the Director, Directorate of Gurdwara Elections, Delhi.

- (iv) The religious party should contest next general election of members to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee at least from 5 separate wards.
 - (v) The religious party shall intimate the details of Office-bearers every year in the month of January and within one month from the date of election of the committee of the said religious party to the Director, Gurdwara Elections.
 - (vi) The said religious party shall be required to obtain not less than six percent of the total valid votes polled in the next general elections in favour of its candidates.
2. Further, makes the following amendment in the said order:-
- (i) In list B-free symbols, the figure and word '9-Book' shall be omitted.
 - (ii) In list A-Reserved Symbols, the "Book" Symbol shall be added at the last.

S.S. SIDHU, Director (GE)

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2012

एफ. सं. 61/(425)/डीसीपीसीआर/सीपी/सीपीयू/डीडब्ल्यूसीडी/2012/9752-779.—बाल

अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का 4) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत उप-राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में श्री अरुण माथुर, 14/7 दिल्ली प्रशासनिक अधिकारी आवास, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं । जो अधिसूचना के जारी होने की तिथी से तीन वर्ष तक अध्यक्ष बने रहेंगे ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th June, 2012

F. No. 61(425)/DCPCR/CP/CPU/DWCD/2012/9752-779—In exercise of the

powers conferred under Section 17 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Shri Arun Mathur, R/o 147, Delhi Administration Officers Flats, Tilak Marg, New Delhi-110001** as **Chairperson of the Delhi Commission for Protection of Child Rights** in accordance with section 18 of the aforesaid Act. The Chairperson shall hold office from the date of notification for a term of three years.

By order and in the name
of the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi

RAJIV KALE, Director

गृह पुलिस-(1)/स्थापना विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 29 जून, 2012

सं. फा. 16/4/2010/ग.पु.-1/स्था./1391/उ.मु. 1/250.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34)

को धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

- (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जायेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 17 में संशोधन

दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण)
नियमावली, 2012 के नियम 17, उप-नियम (iii) में
सूची 'एफ' (आशुलिपिक) के लिए निम्नलिखित को
प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

सूची 'एफ' (आशुलिपिक)

वे स्थायी सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) जो उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) बनाये जा चुके हैं तथा जिनका आशुलिपिक संवर्ग (सहायक उप-निरीक्षक/उप-निरीक्षक) के रूप में न्यूनतम 13 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, इसके पात्र होंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चयन किया जायेगा। चुने गये प्रत्याशियों के नाम आगामी एक वर्ष में रिक्तियों की सम्भावित संख्या को देखते हुए उनकी वरिष्ठता के अनुसार सूची 'एफ' आशुलिपिक में रखे जायेंगे तथा रिक्तियां उपलब्ध होने पर इस सूची में से निरीक्षक/आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति की जायेगी। तथापि ये निरीक्षक/आशुलिपिक, निरीक्षकों की उस सामूहिक वरिष्ठता सूची में शामिल किये जाने के पात्र नहीं होंगे जिन पर दानिप्स के लिए विचार किया जा रहा है। निरीक्षक (आशुलिपिक) के पद पर पदोन्नत किये जाने के पात्र उप-निरीक्षक/आशुलिपिक को पदोन्नत करते समय वर्तमान सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) से इस आशय की समुचित घोषणा ली जायेगी कि उन्हें ज्ञात है कि दानिप्स संवर्ग में शामिल किये जाने के लिए उनका कोई दावा नहीं रहेगा।

3. नियम 16 में संशोधन

आशुलिपिक संवर्ग के लिए भिन्न नियमावली होने के कारण दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियमावली, 1980 के वर्तमान नियम 16 के उप-नियम (iii) में परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात:-

सूची "ई" (लिपिकीय)

वे स्थायी सहायक उप-निरीक्षक (लिपिकीय) जिनका इस रैंक में न्यूनतम 6 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, इसके पात्र होंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर चयन किया जायेगा। चुने गये प्रत्याशियों के नाम, उनकी वरिष्ठता के क्रम में आगामी एक वर्ष में उप-निरीक्षक (लिपिकीय) रैंक में रिक्तियों की सम्भावित संख्या को देखते हुए, रखे जायेंगे तथा रिक्तियां उपलब्ध होने पर उन्हें उप-निरीक्षक (लिपिकीय) के रैंक पर पदोन्नत किया जायेगा।

HOME POLICE-(I) ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 29th June, 2012

No. F. 16/4/2010/HP-1/Estt./1391/dshome-1/250.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rule further to amend the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and Commencement

- (1) These Rules may be called the Delhi Police (Promotion and Confirmation) (Amendment) Rules, 2012
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette

2. Amendment of Rule 17

In the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980 in Rule 17, Sub- Rule (iii) the following shall be substituted for list "F" (Stenographers) namely:-

List "F" (Stenographers)"-

"Confirmed ASIs (Stenographer), who have been elevated as Sub-Inspector (Steno) and put in a minimum of thirteen years service in the Stenographers cadre (ASI/SI), shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Department Promotion Committee. The names of selected candidates shall be brought on list "F" (Stenographer), in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to occur in the following one year and promotion made to the rank of Inspector/ Stenographers from this list, as and when vacancies become available. However, these Inspectors/Steno will not be eligible for inclusion in the Common seniority List of Inspectors being considered for induction into DANIPS. While promoting the eligible elevated Sub-Inspector/Steno to the post of Inspectors (Steno),

2364 25/12-2

appropriate declaration from the existing ASI (Steno) have to be obtained, that they are aware that they have no claim to get inducted into DANIPS Cadre.

3. Amendment of Rule 16

In the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules 1980 in existing Rule 16, Sub-Rule (iii), is altered and the following shall be substituted, namely, being separate rules for Stenographers cadre.

List "E" (Ministerial)"

"Confirmed Assistant Sub-Inspectors (Ministerial), who have put in a minimum of six years service in this rank, shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected candidates shall be brought on list "E" (Ministerial), in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to occur in the rank of Sub-Inspector (Ministerial), in the following one year, and they shall be promoted to the rank of Sub-Inspector (Ministerial), as and when vacancies occur.

सं. एफ. 16/4/2010/ग.पु.-1/स्था./1387.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

(1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली-2012 कहे जायेंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 10 में संशोधन—

दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में वर्तमान नियम 10 के उप-नियम (i) में परिवर्तन करते हुए सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) पद के नाम को निम्न प्रकार से सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:—

सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक)

दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) को समरूप वेतन-बैंड तथा ग्रेड-वेतन में उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) बनाकर यह पदनाम दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
जे. पी. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव (गृह)

No. F. 16/4/2010/HP-1/Estt./1387.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules further to amend the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and Commencement

(1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment & Recruitment) (Amendment) Rules, 2012

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette

2. Amendment of Rule 10

In the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 in existing Rule 10, Sub-Rule (i) is altered and, the name of the post of ASI (Steno) shall be inserted, namely as under:-

Assistant Sub-Inspector (Stenographer) :

After completion of two years probation period successfully, the ASI (Steno) will be elevated and designated as SI (Steno) in the same Pay Band and Grade Pay.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGRAWAL, Addl. Secy. (Home)

गृह (पुलिस)-II, विभाग

कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय)

आदेश

दिल्ली, 29 जून, 2012

सं. 20/04/2003/होम (पुलिस-II)/3626.—क्योंकि टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए "नजदीक काली बाड़ी, आर. के. पुरम, सेक्टर-VII, नई दिल्ली पर स्थित सामान्य टैक्सी स्टैंड को फुटपाथ पर होने के कारण व ट्रैफिक में बाधा डालने के कारण आम जनता के हित में इस कार्यालय के आदेश संख्या 15325-425/प्रशा. शाखा (ट्रैफिक) डी. III, दिनांक 29-9-2010 द्वारा निरस्त किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को पी.डब्ल्यू. डी. के द्वारा अनुरोध करने के बाद निरस्तीकरण उपरांत इस जी.टी.एस. के संचालक द्वारा आवेदन किया गया कि उपरोक्त जी.टी.एस. को एक अल्टर्नेटिव साइट पर सामुदायिक भवन, सेक्टर-6, द्वारका पर आर्बिट किया जाए। और क्योंकि स्थानीय यातायात पुलिस ने प्रस्तावित साइट पर निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त प्रस्तावित साइट पर किसी प्रकार की यातायात से संबंधित बाधित नहीं पाया गया व सूचित किया कि उपरोक्त स्थान को आम जनता के हित में अधिसूचित किया जाए। और क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित अल्टर्नेटिव साइट पर नियम व कानून के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र सं. एफ. 12/06/2007/एम. पी. 256, दिनांक 12-9-2011 उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड को अधिसूचित करने के लिए जारी किया गया (एन.ओ.सी. व साइट प्लान की कापी संलग्न है)।

इसलिए अब मैं, शरत कुमार सिन्हा, उपायुक्त पुलिस (यातायात) मुख्यालय, दिल्ली कंट्रोल ऑफ व्हीक्युलर एण्ड अदर ट्रैफिक ऑन रोड एण्ड स्ट्रीट रेग्युलेशन-1980 की धारा का उपयोग करते हुए उपरोक्त स्थान "सामुदायिक भवन, सेक्टर-6, द्वारका" पर साधारण टैक्सी स्टैंड (पांच डी.एल.टी. टैक्सियों) के लिए सामान्य जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता हूँ। साइट प्लान की कापी संलग्न है।

और क्योंकि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैंड "हाल्ट एण्ड गो" किसी भी व्यक्ति विशेष या प्राधिकार को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा जिसको पूर्ण अस्थायी रूप से पुनः अधिसूचित किया जाता है। और जो कि अधिसूचित अधिकारी को, आम जनता के हित में, यातायात के संचालन हेतु सुरक्षा, शिकायत, दुर्व्यवहार, मना करने, ज्यादा पैसे वसूलने या भूमि अधिग्रहण एजेंसी के शिकायत करने पर, उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित होगा। सी.पी.डब्ल्यू.डी./एम.सी.डी./डी.डी.ए. तथा एल. एण्ड डी.ओ. आदि आदि को उपरोक्त अधिसूचित जी.टी.एस. पर किसी व्यक्ति विशेष को तहबाजारी देने का अधिकार नहीं होगा। और जो कि उपरोक्त जी.टी.एस. पर किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण, बिजली, पानी या टैलिफोन कनेक्शन लेने का अधिकार नहीं होगा। और किसी भी विशेष व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकार नहीं होगा। सिर्फ उसी चालक को जी.टी.एस. पर रुकने का अधिकार होगा जिसकी टैक्सी वहां अपने पर नम्बर उपस्थित होगी।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ये आदेश आम जनता के हित में सरकारी गजट में छापे जाएंगे। और इसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर डी.सी.पी. (ट्रैफिक) और सभी उपायुक्त पुलिस/पुलिस स्टेशन्स, दिल्ली/नई दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।

मेरे हाथों द्वारा 29-6-2012 को जारी किया गया।

शरत कुमार सिन्हा, उपायुक्त, पुलिस यातायात (मुख्यालय)

HOME POLICE-(II) DEPARTMENT
OFFICE OF THE DY. COMMISSIONER OF POLICE TRAFFIC (HQ)

ORDER

Delhi, the 29th June, 2012

No. 20/4/2003/HP-II 3626.—Whereas a General Taxi Stand for halting and parking of taxis existing near Dakshin Delhi Kali Bari, R.K. Puram, Sector-VII, New Delhi was de-notified in public interest vide order No. 15325-425/Admn. Br./(T) DA-III, dated 29.9.2010. The Project Manager, PWD, Flyover Project Circle F-11, Bhai Nihal Singh Marg, Lajpat Nagar-IV New Delhi had intimated vide letter no. 23(7)/PM/F-11/PWD/2009-10/290-E dated 01.07.2010 that the aforesaid General Taxi Stand was creating obstruction to pedestrian movement. After construction of three flyovers on the Outer Ring Road, the subject taxi stand was located on the footpath next to the main carriageway. And whereas PWD had further requested that the aforesaid General Taxi Stand may be relocated away from the main Outer Ring Road corridor which was the main connecting road linking Airport to the City for the Commonwealth Games-2010. And whereas the operators of this taxi stand had applied for shifting of the subject GTS from "Near Dakshin Delhi Kali Bari, R.K. Puram, Sector-7 to **"In the Community Centre at Sector 6, Dwarka"**, Delhi. And whereas area traffic police had reported that the proposed site was found feasible from the point of view of traffic management. And whereas DDA (being land owning agency) had also furnished a "No Objection Certificate" with certain terms and conditions for the proposed General Taxi Stand vide No. F.12(6)/2007/MP/256, dated 12.9.2011 (copy of the same alongwith sketch of site plan is enclosed).

Now, therefore, I, Sharat Kumar Sinha, Dy. Commissioner of Police/Traffic (HQ) Delhi in exercise of powers conferred upon me u/s 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation, 1980 do hereby order that a Halt & Go Place for taxis (05 DLTs) at **"In the Community Centre at Sector 6, Dwarka"** is re-notified, with immediate effect, in public interest.

And whereas this Halt and Go place for taxis will not be owned by any individual or authority and is notified on temporary basis. And whereas the notifying authority reserves the right to cancel the notification subsequently in public interest for reason of traffic regulation, requirement of security, local complaints, refusal, misbehavior, overcharging, or any subsequent objection raised by the land owning agency. MCD/NDMC/DDA/L&DO etc. shall not confer any tehbazari rights for the site to any individual. No pucca/semi pucca structure, water, electricity and telephone connection shall be allowed on the site.

This order shall come into force with immediate effect.

This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice board of the office of DCsP/Traffic and Distt. DCsP and Police Stations in Delhi/New Delhi.

Given under my hand and seal of office on the 29th Day of June, 2012

SHARAT KUMAR SINHA, Dy. Commissioner of Police Traffic (HQ)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2012

सं. फा. 2(126)/2011-एसबी/आरआर/676.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं० फा० 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श के पश्चात् :-

- (i) इसके साथ संलग्न अनुसूची में चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में (i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) (ii) एसोसिएट प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) तथा (iii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं से संबंधित नियम बनाते हैं.
- (ii) चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 01.7.2010 की अधिसूचना सं. फा. 02(126)/सीबीपीजीईसी/2010/1031 के अनुसार अधिसूचित (i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) (ii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) तथा (iii) व्याख्याता (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

2364 DG/12-3

अनुसूची

चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	(i) प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी)
2.	पदों की संख्या	* 05 (2012) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय
4.	वैतनमान	37,400-67,000-रुपये तथा एजीपी 10,000/-रुपये (43,000/-रुपये के स्तर पर निश्चित होगी)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मन्त्र तारीख वंही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के अवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह अरुण, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की शांति सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी, भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<u>अनिवार्य</u> (तकनीकी पदों के लिये) सुसंगत शाखा में बी०ई०/बी० टैक तथा एम०ई०/एम० टैक प्रथम श्रेणी सहित अथवा समकक्ष अथवा बी०ई०/बी० टैक तथा एम०ई०/एम० टैक तथा पीएचडी अथवा समुचित शाखा में समकक्ष पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना अत्यन्त वांछनीय है। अनुभव : अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग का न्यूनतम 10 वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर स्तर का होना चाहिए

	अथवा
	अध्यापन तथा/अथवा अनुसंधान तथा/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षीय अनुभव।
	अनुसंधान अनुभव अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तकें अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशनों/आईपीआर/पेटेंट रिकार्ड के मामले में अपेक्षित होगा जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उचित समझा जाये।
	यदि उद्योग में अनुभव विचारणीय है, तो एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का होगा, डिवाइजिंग/डिजाइनिंग, योजना, कार्यकारी, विश्लेषण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकें/अनुसंधान दस्तावेज प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंट इत्यादि में सक्रिय भागीदारी रिकार्ड सहित, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा जैसा उचित समझा जाये।
	टीप-1. किसी विशेष इंजीनियरिंग विधा/शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी।
	टीप 2. यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा।
ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत
6.25	55
6.75	60
7.25	65
7.75	70
8.25	75
	टीप-3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आएंगे।
	टीप-4. पीएचडी के लिये समतुल्यता पाँच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों के प्रकाशन पर आधारित है। प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्श 2.0 से कम नहीं होगा जबकि प्रत्येक इसमें मुख्य लेखक रहे हो तथा सभी पाँच प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों।
	टीप-5. सहायक प्रोफेसर प्रत्याशी के लिए सहयोग प्रोफेसर स्तर का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचारणीय होगा। बशर्ते कि प्रत्याशी सहायक प्रोफेसर ने संबंधित विधा में पीएचडी डिग्री हासिल कर ली है या की हुई थी।
	टीप-6. डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य होंगी।

	<p>टीप-7. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-8. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>अनिवार्य : (गैर तकनीकी पदों के लिये)</p> <p>क. (i) सम्बद्ध/सहबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी योग्यताओं सहित कोई प्रतिष्ठित शोधकर्ता तथा उच्चस्तर का प्रकाशित कार्य, पुस्तकें तथा/अथवा शोध/नीतिगत लेखों के रूप में कम से कम 10 प्रकाशनों सहित प्रकाशित कार्य के प्रमाण सहित शोध में सक्रियता के साथ कार्यरत।</p> <p>(ii) किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का न्यूनतम 10 वर्षीय अनुभव, तथा/अथवा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/उद्योगों में शोध का अनुभव, जिसमें डाक्टरेल स्तर पर शोध के लिए प्रत्याशियों को मार्गदर्शन का अनुभव।</p> <p>(iii) शैक्षिक अभिनव, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पना में योगदान, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान।</p> <p>(iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर।</p> <p>अथवा</p> <p>ख. सम्बद्ध क्षेत्र में सुस्थापित प्रतिष्ठित कोई श्रेष्ठ व्यवसायी जिसने सम्बद्ध/सहबद्ध/प्रासंगिक विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसकी पुष्टि साक्ष्यों से हो।</p> <p>टीप-1. विशेषज्ञता सहित मानविकी/विज्ञान के किसी विशेष विषय/क्षेत्र की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी।</p> <p>टीप-2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी।</p> <p>टीप-3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
--	--

		टीप-4. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/विभाग में संबंधित सचिव सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

2364 DG/12-4

चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में एसोसिएट प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	(ii) एसोसिएट प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी)
2.	पदों की संख्या	* 13 (2012) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	37,400-67,000-रुपये, 9,000/-रुपये एजीपी सहित
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पागी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य (तकनीकी पदों के लिये) सुसंगत शाखा में बी०ई०/बी० टैक तथा एम०ई०/एम० टैक प्रथम श्रेणी सहित अथवा समकक्ष अथवा चाहे बी०ई०/बी० टैक तथा एम०ई०/एम० टैक तथा पीएचडी अथवा समुचित शाखा में समकक्ष पीएचडी उपरान्त प्रकाशन तथा पीएचडी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना अत्यन्त वांछनीय है। अनुभव :- अध्यापन/अनुसंधान/उद्योग का न्यूनतम 05 वर्षीय अनुभव जिसमें से कम से कम 02 वर्ष का पीएचडी उपरान्त अनुभव वांछनीय है।

	<p>टीप-1. विशेषज्ञता सहित इंजीनियरिंग विधा/शाखा की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी।</p> <p>टीप 2. यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्रेड प्वाइंट</th><th>अंकों का प्रतिशत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.25</td><td>55</td></tr> <tr> <td>6.75</td><td>60</td></tr> <tr> <td>7.25</td><td>65</td></tr> <tr> <td>7.75</td><td>70</td></tr> <tr> <td>8.25</td><td>75</td></tr> </tbody> </table> <p>टीप-3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी।</p> <p>टीप-4. पीएचडी के लिये समतुल्यता पाँच अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लेखों के प्रकाशन पर आधारित है। प्रत्येक पत्रिका के लेख का लाभ इन्टेक्स 2.0 से कम नहीं होगा जबकि व्यक्ति इसमें मुख्य लेखक रहा हो तथा सभी पांच प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता क्षेत्र से हों।</p> <p>टीप-5. डिप्लोमा संस्थानों से अनुभव उपयुक्त स्तर पर डिग्री स्तरीय संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष भी माना जाता है तथा यथा लागू तथापि उक्त योग्यताएं अनिवार्य होंगी।</p> <p>टीप-6. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-7. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>अनिवार्य : (गैर तकनीकी पदों के लिये)</p> <p>(i) अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड सहित संबंधित/सम्बद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएचडी डिग्री</p> <p>(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक सहित मास्टर डिग्री (या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड)</p>	ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत	6.25	55	6.75	60	7.25	65	7.75	70	8.25	75
ग्रेड प्वाइंट	अंकों का प्रतिशत												
6.25	55												
6.75	60												
7.25	65												
7.75	70												
8.25	75												

		<p>(iii) किसी शैक्षिक/शोध पद पर अध्यापन तथा/अथवा शोध का आठ वर्ष का न्यूनतम अनुभव, यह किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय या ख्याति प्राप्त शोध संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पद के समकक्ष हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य सहित पीएचडी शोध की अवधि तथा पुस्तकें तथा/अथवा शोध नीति पत्र के रूप में न्यूनतम पाँच प्रकाशनों सहित।</p> <p>(iv) शैक्षिक अभिनव, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों के अभिकल्पन में योगदान, प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में योगदान। डाक्टरेल प्रत्याशियों तथा अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के साक्ष्य सहित।</p> <p>(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पीबीएस) पर आधारित शैक्षिक कार्य प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) में यथा निर्धारित न्यूनतम स्कोर।</p> <p>टीप-1. विज्ञान/मानविकी के किसी विषय/क्षेत्र की उचित अपेक्षा प्रत्येक भर्ती के समय उल्लिखित की जाएगी।</p> <p>टीप-2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होगी।</p> <p>टीप-3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, लिखित कारणों से, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p> <p>टीप-4. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु)

		1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 2. प्रधान सचिव/विभाग में संबंधित सचिव 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी) के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	(iii) सहायक प्रोफेसर (तकनीकी/गैर तकनीकी)
2.	पदों की संख्या	* 24 (2012) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकीय
4.	वेतनमान	15,600-39,100-रुपये तथा 6000/-रुपये एजीपी सहित
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) टीप: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए नान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्पा जिले की पागी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	अनिवार्य (तकनीकी पदों के लिये) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सनुचित शाखा में बी०ई०/बी० टैक तथा एम०ई०/एम० टैक में किसी में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष टीप-1. किसी विशेष इंजीनियरिंग विद्या/शाखा में विशिष्टता संबंधी सटीक अपेक्षाएँ प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी। टीप 2. यदि वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है कुल अंकों का न्यूनतम 60 प्रतिशत प्रथम वर्ग/श्रेणी के समकक्ष माना जायेगा। यदि ग्रेड प्वाइंट प्रणाली स्वीकार की जाती है सीजीपीए को निम्नलिखित समकक्ष अंकों के परिवर्तित किया जायेगा।

2366 30/12-5

		<p>ग्रेड प्वाइंट अंकों का प्रतिशत</p> <p>6.25 55</p> <p>6.75 60</p> <p>7.25 65</p> <p>7.75 70</p> <p>8.25 75</p> <p>टीप-3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात् शिथिलनीय है।</p> <p>अनिवार्य (गैर तकनीकी)</p> <p>(i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथापरिभाषित अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ मास्टर स्तर पर किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक (या जहां ग्रेडिंग प्रणाली है प्वाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) सहित मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।</p> <p>(ii) यूजीसी, सीएसआईआर द्वारा गठित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान परीक्षाएं जैसे एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण की हों।</p> <p>(iii) उक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित के रहते हुए भी ऐसा प्रत्याशी जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री अवार्ड हेतु न्यूनतम मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएचडी है या यह डिग्री प्रदान की गई है उन्हें विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति हेतु एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट होगी।</p> <p>(iv) एनईटी/एसएलईटी/एसईटी उन विधाओं के मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिये भी अपेक्षित नहीं होगी जिनके लिये एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा नहीं ली जाती।</p> <p>टीप-1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी।</p> <p>टीप-2. विज्ञान/मानविकी के विषय/विधा में सटीक अपेक्षाएं प्रत्येक भर्ती के समय उल्लेख की जाएंगी।</p> <p>टीप-3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर लिखित रिकार्ड के पश्चात् शिथिलनीय है।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं

9.	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, सीधी भर्ती वालों के लिये
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) 1. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार अध्यक्ष 2. विभाग में प्रधान सचिव/ सदस्य संबंधित सचिव 3. विभागाध्यक्ष, तब तक वह राष्ट्रीय सदस्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. गुप्ता, उप निदेशक (सचिवालय शाखा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION

Delhi, the 29th June, 2012

No. F. 2(126)/2011-SB/RR/676.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/68-DH(S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor to National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Services Commission is pleased to -

- make the rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Associate Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi
- to cancel recruitment rules for the posts of (i) Professor (Technical/Non-Technical), (ii) Assistant Professor (Technical/Non-Technical) and (iii) Lecturer (Technical/Non-Technical) in Ch. Brahm Prakash Government Engineering College, Government of National Capital Territory of Delhi, Delhi notified vide Notification No. F.2(126)/CBPGEC/2010/1031 dated 01/07/2010

Schedule

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF PROFESSOR (TECHNICAL/NON-TECHNICAL) CH. BRAHM PRAKASH GOVT. ENGINEERING COLLEGE, DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION, GNCT OF DELHI

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits
1 (I) Professor (Technical /Non- Technical)	2 05*	3 General Central Service, Group 'A', Non- Gazetted, Ministerial	4 Rs. 37,400- 67,000 with AGP of Rs. 10,000/- (shall be fixed at a stage not below Rs. 43,000/-)	5 N.A.	6 Not exceeding 50 years	7 Essential: (For Technical) B.E./B. Tech. and ME/M Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME / M Tech and PhD, or equivalent in appropriate discipline. Post Ph.D. publications and guiding PhD Student is highly desirable. Experience: Minimum of 10 years teaching/ research/ industrial experience out of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor. OR Minimum of 13 years experience in teaching and/ or Research and / or industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publications / IPR / Patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the Selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active participation record in devising / designing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating,

training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc. as deemed fit by the expert members of the selection committee.

Note 1:- The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment.

Note 2:- If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:-

Grade Point	Percentage of marks
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

Note 3:- PhD shall be from a recognized University.

Note 4:- Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

Note 5:- For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph.D degree in the relevant discipline.

Note 6: Experience at Diploma Institution is also considered equivalent to experience in degree level institutions at appropriate level and as applicable. However qualifications as above shall be mandatory.

Note 7: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 8: The Qualification(s) regarding experience is/are

relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Essential: (For Non-Technical)

A. (i). An eminent scholar with Ph. D. qualification(s) in the concerned / allied/ relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and/or research/policy papers.

(ii). A minimum of ten years of teaching experience in university/college, and /or experience in research at the University/National level Institutions/ Industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level.

(iii). Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology-mediated teaching learning process.

(iv). A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out by the UGC.

OR

B: An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned/allied/relevant discipline, to be substantiated by credentials.

Note 1:- The exact requirement of a particular subject/discipline of Humanities/Sciences with specialization will be indicated at the time of each recruitment.

Note 2:- Ph.D. shall be from a recognized University.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & % of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption Grade from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
N.A..	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary in the, Govt. of NCT of Delhi- Member	Consultation with UPSC necessary.

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR (TECHNICAL/NON-TECHNICAL)
CH. BRAHM PRAKASH GOVT. ENGINEERING COLLEGE, DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION, GNCT OF DELHI

1	2	3	4	5	6	7
(II) Associate Professor (Technical / Non Technical)	13* (2012) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 37400- 67000 with AGP of Rs. 9000/-	N.A.	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).	Essential: (For Technical) B.E./B.Tech. and MEM Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME/ M.Tech and Ph D or equivalent in appropriate discipline. Post Ph.D. publications and guiding PhD Student is highly desirable. Experience:- Minimum of 05 years experience in teaching/ research/ industry of which 2 years post Ph D experience is desirable. Note 1:-The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment. Note 2:- If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:-

2304 D 9/12-7

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55 %
6.75	60 %
7.25	65 %
7.75	70 %
8.25	75 %

Note 3:- PhD shall be from a recognized University,

Note 4:- Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

Note 5: Experience at Diploma Institution is also considered equivalent to experience is degree level institutions at appropriate level and as applicable. However qualifications as above shall be mandatory.

Note 6: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 7: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of the selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

- (i). Good Academic record with a Ph.D Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.
- (ii). A Master's Degree with at-least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
- (iii). A minimum of Eight years of experience of teaching and/or research in an academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/Industry excluding the period of Ph. D research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.
- (iv). Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology-mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students.
- (v). A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS), set out by the UGC.

Note 1:- The exact requirement of the subject /discipline of Science/Humanities, will be indicated at the time of each recruitment.

Note: 2. Ph. D shall be from a recognized University.

Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 4: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or

						<p>Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	--	--

8	9	10	11	12	13
N.A..	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary in the, Govt. of NCT of Delhi- Member	Consultation with UPSC necessary

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (TECHNICAL/NON-TECHNICAL)
CH. BRAHM PRAKASH GOVT. ENGINEERING COLLEGE, DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION, GNCT OF DELHI

1	2	3	4	5	6	7												
(iii) Assistant Professor (Technical / Non Technical)	24 * (2012) Subject to variation depende nt on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Rs.15600- 39100 with AGP of Rs. 6000/-	N.A.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).	Essential: (For Technical) B.E. / B.Tech and ME/M Tech in relevant branch with First Class or equivalent either in BE/B Tech or ME / M.Tech from a recognized University. Note 1:- The exact requirement of a particular engineering discipline/branch with specialization will be indicated at the time of each recruitment. Note 2:- If a Class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point system is adopted the CGPA will be converted into equivalent marks as below:- <table><tr><td>Grade Point</td><td>Equivalent Percentage.</td></tr><tr><td>6.25</td><td>55 %</td></tr><tr><td>6.75</td><td>60 %</td></tr><tr><td>7.25</td><td>65 %</td></tr><tr><td>7.75</td><td>70 %</td></tr><tr><td>8.25</td><td>75 %</td></tr></table> Note-3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Essential: (For Non-Technical) i). Good Academic record as defined by concerned University with atleast 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level in the relevant subject from an Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign University. (ii). Passed the National Eligibility Test conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.	Grade Point	Equivalent Percentage.	6.25	55 %	6.75	60 %	7.25	65 %	7.75	70 %	8.25	75 %
Grade Point	Equivalent Percentage.																	
6.25	55 %																	
6.75	60 %																	
7.25	65 %																	
7.75	70 %																	
8.25	75 %																	

					(iii) Notwithstanding anything contained in (i) and (ii) above, the candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.
					(iv) NET/SLET/SET shall also not be required for such masters programme in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted.
					Note 1:- Ph.D. shall be from a recognized University.
					Note 2:- The exact requirement of the subject/discipline of Science/Humanities, will be indicated at the time of each recruitment
					Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8	9	10	11	12	13
N.A.	1 Year for Direct Recruits.	By Direct Recruitment	N.A.	Group - A DPC (for confirmation):- 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi - Chairman 2. Principal Secretary/ Secretary concerned in the Department - Member 3. Head of Department concerned unless He/She is ex-Officio Secretary in the, Govt. of NCT of Delhi Member	Consultation with UPSC necessary

By Order and in the Name of the Lt. Governor
Govt. of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. GUPTA, Dy. Dir. (SB)